थाना जरीफनगर पुलिस द्वारा दिनाँक 22-02-2023 को हुई दो पक्षों के मध्य पुरानी रंजिश को लेकर फायरिंग की घटना से सम्बन्धित 04 वांछित अभि0गण को गिरफ्तार किया गया

दिनाँक 22.02.2022 को थाना जरीफनगर क्षेत्र के ग्राम आरिफपुर भगता नगला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ में दो पक्षों के मध्य पुरानी मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर फायरिंग व झगड़ा हुआ था। जिसमें एक पक्ष के सतेन्द्र पुत्र कल्याण व जयप्रकाश पुत्र महीपाल व द्वितीय पक्ष के रेशमपाल पुत्र केहर सिंह की मृत्यु हो गयी थी। जिसके सम्बन्ध में दिनाँक 22.02.2023 को ही थाना स्थानीय पर एक पक्ष के बीरपाल पुत्र महिपाल निवासी ग्राम आरिफपुर भगता नगला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ द्वारा दाखिला लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 71/2023 धारा 147,148,149,307,302,323,504 भादवि व 7 CLA Act बनाम दलवीर आदि व दूसरे पक्ष के दलवीर पुत्र हिलेन्द्र निवासी ग्राम आरिफपुर भगता नगला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ की दाखिला लिखित तहरीर के आधार पर मु0अ0सं0 72/2023 धारा 147,148,149,307,302,323,504 भादवि बनाम रोहतास आदि पंजीकृत किया गया था । घटना की गम्भीरता व संवेदनशीलता के दृष्टिगत उच्च अधिकारी गण श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक बरेली जोन बरेली, श्रीमान पुलिस महानिरीक्षक बरेली परिक्षेत्र बरेली, श्रीमान जिलाधिकारी बदायूँ महोदय, श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ, श्रीमान पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय, उपजिलाधिकारी सहसवान महोदय, क्षेत्राधिकारी सहसवान महोदय आदि के द्वारा मौके का जायजा लिया गया था एवं घटना की गम्भीरता व संवेदनशीलता के दृष्टिगत उच्च अधिकारी गण द्वारा प्रकरण पर संज्ञान लेते हुए उच्च अधिकारी गण द्वारा अभियुक्त गण की अतिशीघ्र गिरफ्तारी व कार्यवाही हेतु टीम गठित कर मुझ प्रभारी निरीक्षक को विशेष दिशा निर्देश दिये गये थे। जिनके क्रम में नामित वाँछित अभियुक्त गण 1. रोहताश पुत्र महिपाल, 2.बीरपाल पुत्र महिपाल, 3. महिपाल पुत्र चम्पत, 4.हरिओम पुत्र जगदीश व 5.भूरे पुत्र हीलेन्द्र सर्व निवासी गण ग्रा0 आरिफपुर भगता नगला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ को गिरफ्तार कर जिला कारागार बदायूँ भेजा गया था।

उक्त क्रम में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूँ डा0 ओ0 पी0 सिंह के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण बदायूँ के नेतृत्व व क्षेत्राधिकारी सहसवान के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 25.02.2023 को त्वरित कार्यवाही करते हुए मु0अ0सं0 71/2023 धारा 147,148,149,307,302,323,504 भादवि व 7 CLA Act में नामित वाँछित अभियुक्त गण 1.कालीचरन उर्फ अशोक पुत्र चोब सिंह, 2.चोब सिंह पुत्र सिपाही व 3. सत्यपाल पुत्र चोब सिंह व 4. हेतराम पुत्र दलवीर निवासी गण ग्राम आरिफपुर भगता नगला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ को मुखबिर की सूचना पर ग्राम शादीपुर तिराहे से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त गण के विरुद्ध कठेर से कठोरतम कानूनी कार्यवाही करायी जा रही है व शेष अभियुक्त गण की गिरफ्तारी हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

पूछताछ अभियुक्त गण अभियुक्त गण ने अपने जुर्म का इकबाल करते हुए पुराने मुकदमेबाजी की रंजिश को लेकर दोनों पक्षों में फायरिंग की घटना कारित करना बताया है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्तगण सम्बन्धित मु0अ0सं0 71/2023 धारा 147,148,149,307,302,323,504 भादवि व 7 CLA Act

1. कालीचरन उर्फ अशोक पुत्र चोब सिंह,

2. चोब सिंह पुत्र सिपाही व

3. सत्यपाल पुत्र चोब सिंह व

4. हेतराम पुत्र दलवीर निवासी गण ग्राम आरिफपुर भगता नगला थाना जरीफनगर जनपद बदायूँ

गिरफ्तारी करने वाली टीम

1. प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार थाना जरीफनगर बदायूँ

2. उ0नि0 कृष्णपाल सिंह थाना जरीफनगर बदायूँ,

3. का0 355 अजीत कुमार थाना जरीफनगर बदायूँ,

4. का0 113 विनोद कुमार थाना जरीफनगर बदायूँ,

5. का0 1776 अंकित कुमार थाना जरीफनगर बदायूँ व

6. का0 16 अमित कुमार थाना जरीफनगर बदायूँ

सोशल मीडिया सैल

जनपद बदायूँ